**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. \*283**

**12.12.2016 को उत्‍तर के लिए**

**जी.एम. सरसों के संबंध में सुरक्षा संबंधी चिन्‍ता**

****\***283. श्री सी. एम. रमेश :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि केन्‍द्रीय सूचना आयोग ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) से जी. एम. सरसों संबंधी सुरक्षा आंकडों की जानकारी को साझा करने के लिए कहा है;

(ख) क्‍या यह भी सच है कि लोगों के मन में यह आशंका बनी हुई है कि जी. एम. सरसों की खेती से रासायनिक खरपतवारनाशी दवाओं का उपयोग बढ़ जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*

**'जी.एम. सरसों के संबंध में सुरक्षा संबंधी चिन्‍ता' के बारे में श्री सी. एम. रमेश द्वारा दिनांक 12.12.2016 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*283 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिनांक 12 अगस्‍त, 2016 के आदेश सं. सीआईसी/एसए/ए/2015/901798 के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ट्रांसजेनिक मस्‍टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्‍टर्ड हाइब्रिड-11 (डीएमएच-11) के जैव-सुरक्षा आंकड़ों से संबंधित सूचना प्रकाशित करने का निदेश दिया था। तदनुसार, दिनांक 5.09.2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर 30 दिन की अवधि के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के लिए खाद्य और पर्यावरण सुरक्षा के आकलन (ए.एफ.ई.एस.) संबंधी एक सार दस्‍तावेज प्रकाशित किया गया था और उस पर जनता की टिप्‍पणियां मांगी गई थीं। उक्‍त अवधि में कार्यालय समय के दौरान आम जनता के लिए विस्‍तृत दस्‍तावेज भी उपलब्‍ध कराया गया था।

(ख) और (ग) आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों की खेती के लिए किसानों द्वारा पहले से ही प्रयोग में लाए जा रहे खरपतवारनाशी रसायनों के अतिरिक्‍त अन्‍य खरपतवारनाशी रसायनों के प्रयोग की आवश्‍यकता नहीं है और इसलिए इन रसायनों के प्रचलन के बाद खरपतवारनाशी रसायनों की आवश्‍यकता कम हो जाती है।

\*\*\*\*